सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 09, बुधवार, *शाके* 1945-फरवरी 28, 2024 *Phalguna 09 Wednesday , Saka 1945- February 28, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला-बूँदी

प्रपत्र – 09

(धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 21 के उप नियम (1)

घोषणा

बूंदी, फरवरी 20, 2024

संख्या-प.7(624)एस.एच.ए./पीपीपी/2021-22 :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की सम्बद्ध सारणी में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्राम-लक्ष्मीपुरा एवं छांट़काखेड़ा तहसील-तालेड़ा, जिला-बूँदी में एन.एच.12 से लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-राणाजी का गुढ़ा (राज्य राजमार्ग संख्या-115) परियोजना सड़क के लिए आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार कुल 2.4844 हेक्टयर भूमि उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम-लक्ष्मीपुरा एवं छांट़काखेड़ा तहसील-तालेड़ा, जिला-बूँदी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है, जिसका विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या/ भू- खण्डों कि संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	बूँदी	तालेड़ा	लक्ष्मीपुरा	7	1.4344
2	बूँदी	तालेड़ा	छांट़काखेड़ा	7	1.0500
			कुल	**14**	**2.4844**

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों के उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने, जाँच एवं उनका निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

इस भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा-पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है के ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, जिला-बूँदी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति/परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रतिवेदन का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, जिला-बूँदी के कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्य का नामः- राज्य राजमार्ग एन.एच.12 से लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-राणाजी का गुढ़ा (एस.एच.-115) सड़क का विकास (निर्माण) कार्य स्थल विवरण पत्र का प्रारूप-09, ग्राम-लक्ष्मीपुरा एवं छांट़काखेड़ा तहसील-तालेड़ा, जिला-बूँदी।

प्रभावित क्षेत्र का विवरण-

अनुसूची

एन.एच.12 से लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-राणाजी का गुढ़ा (राज्य राजमार्ग संख्या-115) परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की धारा-19, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) तालेड़ा, जिला-बूँदी में प्रभावित खसरों की सूची।

क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	वृक्षों की संख्या/ प्रकार	संरचनाओं का विवरण
ग्राम- लक्ष्मीपुरा							
1	828/516	निजी	बारानी 3	0.2700	1. ओमप्रकाश पुत्र पीरू हिस्सा-1/20 जाति-बंजारा सा. देह खातेदार 2. कृष्णा पत्नि नंदकिशोर हिस्सा-2/5 जाति-माली सा. नांता तहसील लाडपुरा जिला कोटा खातेदार राहिन हिस्सा-2/5 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नान्ता 3. दयाराम पुत्र दुर्गालाल हिस्सा-1/12 जाति-गुर्जर सा. लोधा की झोपडिया लक्ष्मीपुरा खातेदार 4. बदाम पुत्री पीरू हिस्सा-1/20 जाति-लुहार सा. देह खातेदार 5. भोजराज पुत्र राजेश हिस्सा-1/12 जाति-गुर्जर सा. रामगंज बून्दी खातेदार 6. मुकेश पुत्र कालू हिस्सा-1/12 जाति-गुजर सा. अकतासा खातेदार	-	कमरा (5.0x4.0मी.) चाहरदीवारी (6.0 मी.)

					7. साबू पुत्र हजारी हिस्सा-1/4 जाति-बंजारा सा. लक्ष्मीपुरा खातेदार		
2	829/516	निजी	बारानी 3	0.4219	1. नन्दकुमारजोशी पुत्र हरिशँकर हिस्सा-पूर्ण जाति-ब्राह्मण सा. देह हाल निवासी गुरूनानक कोलोनी बून्दी खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बून्दी चि.क्षै.ग्रा. बैक शाखा तालेडा मु.वि.क.ख.न.427/665 को छोडकर राहिन बडोदा राज.ग्रा.बैक शाखा तालेडा	-	-
3	916/317	निजी	बारानी 3	0.0338	1. दिनेश चोधरी पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार 2. निशा सक्सेना पत्नि सुनील सक्सैना हिस्सा-2/3 जाति-कायस्थ नि. रिद्दीसिद्दी नगर कोटा खातेदार 3. रूकमणी चोधरी पत्नि दिनेश चोधरी हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार	-	-
4	709/512	निजी	बारानी 3	0.1518	1. दिनेश चोधरी पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा. इमली फाटक (जयपुर) खातेदार 2. निशासक्सैना पत्नि सुनिलसक्सैना हिस्सा-2/3 जाति-कायस्थ सा. इमली फाटक (जयपुर) खातेदार 3. रूकमणी पत्नि दिनेश हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा. इमली फाटक (जयपुर) खातेदार	-	-
5	802/512	निजी	बारानी 3	0.3037	1. शूभमगुप्ता पुत्र सतीशगुप्ता हिस्सा-पूर्ण जाति-महाजन सा. बल्लभबाडी कोटा तह. लाडपुरा जिला कोटा खातेदार	-	-
6	939/512	निजी	बारानी 3	0.0338	1. दिनेश चोधरी पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार 2. निशा सक्सेना पत्नि सुनील सक्सैना हिस्सा-2/3 जाति-कायस्थ नि. रिद्दीसिद्दी नगर कोटा खातेदार 3. रूकमणी चोधरी पत्नि दिनेश चोधरी हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा	-	-

					ईमली फाटक जयपुर खातेदार		
7	511	निजी	चाही 3 जाव 3	0.2194	1. नेहागुप्ता पुत्री सतीशगुप्ता हिस्सा-पूर्ण जाति-महाजन सा.एफ.17 बल्लभबाडी कोटा तह.लाडपुरा कोटा खातेदार	-	-
ग्राम- छांट़काखेड़ा							
1	251/11	सरकारी	बंजड़	0.3076	राजस्थान सरकार	-	-
2	424/12	सरकारी	बंजड़	0.1236	राजस्थान सरकार	-	-
3	425/13	सरकारी	गे.मु.बर्डा	0.1030	राजस्थान सरकार	-	-
4	416/304	सरकारी	बंजड़	0.2008	राजस्थान सरकार	-	-
5	55	सरकारी	चाही 3	0.0020	राजस्थान सरकार	-	-
6	55/212	सरकारी	गे.मु.चाह	0.0010	राजस्थान सरकार	-	-
7	302/54	सरकारी	बारानी 3	0.3120	राजस्थान सरकार	-	-

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।